



2026:AHC:65015

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 12295 वर्ष 2026

विमल कुमार पाल एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

विक्रम सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीया न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 45/2021, अंतर्गत धारा 323, 504, 498-क, 354ख, 427, 419, 420, 406 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, थाना औद्योगिक क्षेत्र, जिला प्रयागराज से उत्पन्न वाद संख्या 446/2022 'राज्य बनाम विमल कुमार पाल एवं अन्य', जो सिविल जज (जे.डी.)/एफ.टी.सी., न्यायालय संख्या 21, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है, में दाखिल समझौता विलेख दिनांक 18.10.2025 के आधार पर संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 23.09.2021 के आक्षेपित आरोप-पत्र और दिनांक 08.11.2022 के आक्षेपित सम्मन आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, ।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 ने आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, जिसे सिविल जज (जे.डी.)/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), न्यायालय संख्या 21, प्रयागराज द्वारा दिनांक 18.10.2025 को विधिवत सत्यापित किया जा चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ने आपसी सहमति से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक के लिए एक याचिका दायर की है, जो अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान विवाद आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया है कि पक्षों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, न कि किसी दबाव, धमकी या जबरदस्ती में, और वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए, पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए; साथ ही वे प्रति-शपथ पत्र और प्रत्युत्तर-शपथ पत्र दाखिल करने का इरादा नहीं रखते हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सत्यता पर कोई आपत्ति नहीं की है।

6. पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को रद्द करने के संबंध में कानून सुस्थापित है।

7. **बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 4 एससीसी 675** में माननीय शीर्ष अदालत के निर्णय के आलोक में यह निर्धारित किया गया है कि "उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में जहाँ पक्षों के बीच वास्तविक समझौता हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, जो शमनीय अपराधों को सूचीबद्ध करती है, इस शक्ति को सीमित नहीं करती है और सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, भले ही वे अपराध अन्यथा गैर-शमनीय हों।"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** के अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में यह निर्धारित किया है कि "परंतु वे आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी स्वरूप झलकता है, रद्दीकरण के उद्देश्य से एक अलग धरातल पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होते हैं या दहेज आदि से संबंधित विवाद से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहाँ दोष मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति



का है और पक्षों ने अपने संपूर्ण विवाद को सुलझा लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना क्षीण और धुंधली है तथा आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त के लिए भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का कारण बनेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं मुकम्मल सुलह तथा समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके प्रति अत्यधिक अन्याय होगा।"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2017) 9 एससीसी 641 में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि "समझौते के आधार पर गैर-शमनीय मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है ताकि न्यायालय के बहुमूल्य समय को बचाया जा सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।"

10. पक्षों ने संबंधित न्यायालय में अपने बीच लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। अभिलेखों के परिशीलन और ऊपर उद्धृत कानून से, वर्तमान मामला सम्मन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग हेतु एक उपयुक्त मामला है।

11. विवाद पूर्णतः वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है जिसे पक्षों के बीच उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ पारस्परिक रूप से सुलझा लिया गया है, इसलिए, अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

12. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत रद्दीकरण के लिए दायर वर्तमान आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, एसएलपी (आपराधिक) संख्या 11642/2019, दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मापदंडों के दायरे में आता है।

13. दिनांक 18.10.2025 के समझौता सत्यापन के आलोक में, मुकदमा अपराध संख्या 45/2021, अंतर्गत धारा 323, 504, 498-क, 354ख, 427, 419, 420, 406 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, थाना औद्योगिक क्षेत्र, जिला प्रयागराज से उत्पन्न वाद संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



446/2022 'राज्य बनाम विमल कुमार पाल एवं अन्य', जो सिविल जज (जे.डी.)/एफ.टी.सी., न्यायालय संख्या 21, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है, की कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

14. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

28 मार्च, 2026

केजे